न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बईजलास– दिनेश कुमार यादव,जिला कलक्टर,नागौर

रसद अपील संख्या– 64/2014

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
प्रवर्तन अधिकारी (अभियोजन), नागौर		1. उपखण्ड अधिकारी, जायल 2. प्रहलादराम व्यवस्थापक ग्राम सेवा सहकारी समिति मांगलोद तहसील जायल वगैरह 3. हनुमानसिंह पुत्र भोपाल सिंह राजपूत निवासी मांगलोद, तहसील जायल, अध्यक्ष ग्राम सेवा सहकारी समिति लि0 मांगलोद जिला नागौर।

उपस्थिति :–

1. अपीलान्ट की ओर से प्रवर्तन अधिकारी श्री रामजीवन बेनीवाल।
2. प्रत्यर्थी संख्या–2 व 3 की ओर से वकील श्री भंवरलाल चौधरी।

निर्णय दिनांक– 06/02/2020

1. मामले का सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने यह अपील अन्तर्गत राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश1976 के खण्ड 22 (1)(ए) के तहत उपखण्ड अधिकारी जायल द्वारा विभागीय प्रकरण संख्या 01/2012 के सन्दर्भ में निर्णय दिनांक 30.04.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। अपील के साथ परिसीमा अधिनियम 5 के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया, जिस पर यह अपील ताबेउज्र मियाद दर्ज रजिस्टर की गई। अधिनस्थ न्यायालय का मूल रिकार्ड तलब किया गया। प्रत्यर्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रकरण में रेस्पोडेन्ट 3 हनुमानसिंह के आवेदन अधीन आदेश 1 नियम 10 सी.पी.पी. पर पक्षकारान को सुनकर आदेशिका दिनांक 09.09.2019 अनुसार हनुमानसिंह को रेस्पोडेन्ट संख्या 3 के रूप में पक्षकार बनाया गया है।
2. मयाद के बिन्दु पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अपीलान्ट की ओर से प्रवर्तन अधिकारी श्री रामजीवन बेनीवाल ने बहस में कथन किया कि उक्त प्रकरण में शिकायतकर्ता श्री नरपतराम पुत्र श्री आसुराम जाति सोनी निवासी मांगलोद तहसील जायल व श्री शंकरलाल पुत्र श्री रामूराम जाति जाट निवासी मांगलोद तहसील जायल जिला नागौर द्वारा उपखण्ड अधिकारी महोदय जायल के निर्णय के विरूद्ध अपील संख्या 80/2012 नरपतराम बनाम प्रहलादराम व्यवस्थापक ग्राम सेवा सहकारी समिति मांगलोद न्यायालय हाजा के समक्ष दिनांक 03.07.2012 को पेश होने पर जानकारी हुई। इस कारण एक आदेश के विरूद्ध दो अपील नहीं किये जाने योग्य होने के कारण न्यायालय हाजा के समक्ष अपील पेश नहीं की जा सकी जो देरी की परिभाषा में नहीं आती क्योंकि शिकायतकर्ता द्वारा न्यायालय हाजा में पेश अपील के नोटिस प्राप्त होने पर उसी प्रकरण में रेस्पोडेन्ट संख्या 2 सरकारी पैरोकार के रूप उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने के कारण अपील पेश नहीं की जा सकी। न्यायालय हाजा के समक्ष शिकायतकर्ता श्री नरपतराम वगैरह की अपील में निर्णय पारित होने पर अन्दर मयाद पेश करने का कथन करते हुऐ अपीलान्ट की अपील अन्दर मयाद शुमार करने का निवेदन किया। वकील रेस्पोडेन्ट श्री भंवरलाल चौधरी ने अपीलान्ट की अपील मयाद बाहर होने का कथन करते हुऐ अपीलान्ट का मयाद प्रार्थना पत्र व अपील खारिज करने का निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया अपीलान्ट द्वारा बहस में किये कथन पर न्यायहित में विचार करते हुऐ अपीलान्ट का मयाद प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।
3. प्रवर्तन अधिकारी श्री रामजीवन बेनीवाल ने अपीलान्ट की ओर से बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 प्रहलादराम व्यवस्थापक ग्राम सेवा सहकारी समिति मांगलोद तहसील जायल में प्राधिकार पत्र धारी रहा है। ग्राम सेवा सहकारी समिति उचित मूल्य दुकान मांगलोद के विरूद्ध प्राप्त शिकायत प्रार्थना पत्र दिनांक 13.12.2011 को ग्रामवासी मांगलोद के द्वारा पेश

कलक्टर, नागौर

करने पर जांच हेतु उपखण्ड अधिकारी, जायल द्वारा तहसीलदार जायल को जांच रिपोर्ट पेश करने हेतु लिखा गया। तहसीलदार जायल के द्वारा जांच प्रवर्तन निरीक्षक से करवाई जाने की टिप्पणी अंकित करते हुए पुनः कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जायल में प्रस्तुत कर दिया। मूल शिकायत की जांच क्षेत्रीय प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा दिनांक 20.01.2012 को की गई। जिस पर कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, जायल द्वारा विभागीय प्रकरण दर्ज करते हुए दिनांक 20.01.2012 को रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को जारी प्राधिकार पत्र निलम्बित किया गया। प्रकरण में अप्रार्थी को नोटिस जारी कर जबाब लिया गया जिसमें अप्रार्थी व्यवस्थापक द्वारा उसके उपर लगे आरोपों को स्वीकार किया है फिर भी उपखण्ड अधिकारी जायल द्वारा अन्य कोई साक्ष्य सबूत लिये बिना अप्रार्थी पर 5000/– रूपये का जुर्माना करते हुए दिनांक 30.04.2012 को ग्राम सेवा सहकारी समिति का प्राधिकार पत्र बहाल कर दिया गया जिसके विरूद्व यह अपील माननीय न्यायालय में पेश की जा रही है जिसमे तथ्य निम्न प्रकार से है।

3(1)–निर्णय पत्रावली में उपलब्ध तथ्यों के विपरित किया गया है। उपखण्ड अधिकारी, जायल द्वारा सुनवाई के दौरान जांच रिपोर्ट में शामिल किसी भी शिकायतकर्ता के बयान नहीं लिये गये जबकि अधीनस्थ न्यायालय में शिकायतकर्ता एवं ग्रामवासियों के बयान कमलबद्व किये जाने चाहिए थे तथा रिकोर्ड का विधिवत्त अवलोकन करना था जिन पर बिना गौर किये एवं बिना सुनवाई किये निर्णय पारित किया।

3(2)–प्रवर्तन निरीक्षक जायल की रिपोर्ट के अनुसार यह स्पष्ट है कि व्यवस्थापक ग्राम सेवा सहकारी समिति, मांगलोद द्वारा माह दिसम्बर 2011 में 2300 लीटर केरोसीन एवं 2.20 क्वि. चीनी स्टॉक में कम पाये जाने के सम्बन्ध में कोई जबाब लिये बिना एवं कोई साक्ष्य सबूत जुटाये बिना ही निर्णय पारित किया है।

3(3)–प्रवर्तन निरीक्षक, जायल की रिपोर्ट अनुसार माह दिसम्बर 2011 के एपीएल गेंहू के स्टॉक रजिस्टर की जांच में पाया कि केवल स्टॉक रजिस्टर में वितरण दर्शाकर 5.80 क्वि. गेंहू, माह दिसम्बर 2011 में स्टेट बीपीएल योजना मे स्टॉक रजिस्टर में फर्जी वितरण दर्शाकर 1.25 क्वि. गेहूं, माह दिसम्बर 2011 में बीपीएल योजनान्तर्गत स्टॉक रजिस्टर में फर्जी वितरण दर्शाकर 2.75 क्वि. एवं एपीएल योजनान्तर्गत माह अक्टूम्बर एवं नवम्बर 2011 में 50–50 क्वि. गेहूं कुल 100 क्विं. गेहूं का केवल स्टॉक रजिस्टर में वितरण दर्शाकर गबन किया गया है लेकिन उपखण्ड अधिकारी, जायल द्वारा इस गबन के सम्बन्ध में कोई जांच/साक्ष्य लिये बिना निर्णय पारित किया है जो न्याय एवं कानून की मंशा के विपरित पारित किया गया है।

3(4)–उपखण्ड अधिकारी, जायल ने प्रकरण संख्या 01/2012 में गवाह श्री भगवानराम पुत्र श्री छगनाराम श्री सुखाराम पुत्र श्री उमाराम के बयान लिये। उपरोक्त दोनों गवाह व्यवस्थापक के मिलने वाले होने से बयान लिये। उपरोक्त दोनों गवाह व्यवस्थापक के मिलने वाले होने से बयान करवाये गये है जिनका उपरोक्त प्रकरण से कोई सम्बन्ध नहीं है न ही उन्हें तथ्यों की जानकारी है। केवल मात्र खानापूर्ति करने के लिए दोनों गवाहान के बयान लिये गये है जबकि उक्त प्रकरण में शिकायतकर्ता व सम्बन्धित गवाहान के बयान नहीं लेकर अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में बहुत भारी त्रुटि की है जो कानून की मंशा के विपरित निर्णय पारित किया जाना प्रतीत होता है जिस कारण भी निर्णय काबिल निरस्त किये जाने योग्य है।

3(5)–उपरोक्त प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी आधार के कोई दस्तावेजी साक्ष्य के अवलोकन किये बिना व रिकार्ड देखे बिना ही सरसरी तौर पर निर्णय पारित किया है जो काबिल निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय का समस्त दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन करके विधिवत रूप से शिकायतकर्ता के व सम्बन्धित जांच अधिकारी के बयान लेकर ही उपरोक्त प्रकरण में सही निस्तारण करना चाहिए था जो नही कर कानूनी भूल की है व न्याय की मंशा के विपरित निर्णय पारित किया है जो काबिल निरस्त किये जाने योग्य होने का कथन करते हुए वकील प्रार्थी ने उपखण्ड अधिकारी जायल द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.04.2012 काबिल निरस्त किया जाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 02 को जारी प्राधिकार पत्र के अन्तर्गत की गई अनियमिता के सम्बन्ध में व प्राधिकार पत्र निरस्त किये जाने के आदेश फरमाने का निवेदन किया।

4. वकील श्री भवंरलाल चौधरी ने रेस्पोडेन्ट संख्या–2 व 3 की ओर से बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या–2 प्रहलादराम व्यवस्थापक दिनांक 30.11.2013 को सेवानिवृत हो चुका है, वह अब उक्त सहकारी समिति मांगलोद का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है। वर्तमान में ग्राम सेवा सहकारी समिति मांगलोद का अध्यक्ष श्री हनुमानसिंह है, जो उक्त सहकारी समिति का प्रतिनिधित्व कर रहा है। अपीलान्ट ने बहुत ही देरीना अपील पेश की है। अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जायल द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या–2 प्रहलादराम की प्रतिभूति राशि जब्त कर दण्ड के स्वरूप 5000/–रूपये जुर्माना भी राजकोष में जमा कराने का आदेश दिया गया है। चूँकि रेस्पोडेन्ट संख्या–2 प्रहलादराम सेवानिवृत हो चुका है, एवं अब उक्त सहकारी समिति में उसका कोई दखल नहीं भी नहीं रहा है। इसलिए अब उक्त ग्राम सेवा सहकारी समिति का प्राधिकार पत्र निलम्बित करने का भी कोई औचित्य नहीं रहने का कथन करते हुऐ अपील अपीलान्ट खारिज करने का निवेदन किया है।

5. उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण रिकार्ड का अद्योपान्त अवलोकन किया। उल्लेखनीय है कि प्रकरण संख्या 01/2012 राज्य सरकार बनाम व्यवस्थापक ग्राम सेवा सहकारी समिति मांगलोद तहसील जायल जिला नागौर प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी जायल द्वारा दिनांक 30.04.2012 को निर्णय पारित कर रेस्पोडेन्ट संख्या–2 प्रहलादराम व्यवस्थापक ग्राम सेवा सहकारी समिति मांगलोद को जारी राशन सामग्री वितरण का प्राधिकार पत्र के लिए प्रतिभूमि राशि जब्त करने तथा अनियमितताऐं बरतने के लिए श्री प्रहलादराम पर दण्ड स्वरूप 5000/–रूपये अक्षरे पांच हजार रूपये जुर्माना के तौर पर राजकोष में जमा कराये जाने का आदेश दिया गया साथ ही व्यवस्थापक श्री प्रहलादराम का निलम्बित प्राधिकार पत्र को बहाल करने का आदेश प्रदान किया गया। उक्त निर्णय दिनांक 30.04.2012 के विरूद्ध श्री नरपतराम पुत्र आसुराम जाति सोनी तथा शंकरलाल पुत्र रामूराम जाति जाट निवासीगण मांगलोद तहसील जायल जिला नागौर द्वारा धारा 22 राजस्थान खाद्यान्त एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण एवं विनियमन) अधिनियम 1976 के अन्तर्गत अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की गई जिस पर रसद अपील संख्या 80/2012 नरपतराम वगैरह बनाम प्रहलादराम व्यवस्थापक ग्राम सेवा सहकारी समिति मांगलोद तहसील जायल वगैरह दर्ज कर गई इस अपील में जिला रसद अधिकारी नागौर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के रूप में पक्षकार रहे है। उक्त अपील संख्या 80/2012 में न्यायालय हाजा द्वारा निर्णय दिनांक 19.02.2014 से अपीलार्थी की अपील मेन्टेनेबल योग्य नहीं होने से खारिज की गई तथा निर्णय में प्रहलादराम के विरूद्ध गम्भीर प्रकृति के आरोप है तथा राजकीय हितों के विपरित निर्णय हुआ है का उल्लेख करते हुए जिला रसद अधिकारी नागौर को सक्षम न्यायालय में अपील की कार्यवाही करने के संबंध में जॉच आदि कर उत्तरदायित्व का निर्धारण करते हुऐ विभागीय कार्यवाही करने एवं नियमों के अन्तर्गत सक्षम न्यायालय में अपीलीय कार्यवाही किये जाने के जिला रसद अधिकारी नागौर को निर्देश दिये गये। इस प्रकार उक्त निर्णय दिनांक 19.02.2014 के पश्चात अपीलान्ट द्वारा उपखण्ड अधिकारी जायल द्वारा प्रकरण संख्या 01/2012 में पारित निर्णय दिनांक 30.4.2012 के विरूद्ध यह अपील पेश की है।

5(1)–प्रवर्तन निरीक्षक जायल की रिपोर्ट अनुसार व्यवस्थापक ग्राम सेवा सहकारी समिति, मांगलोद द्वारा माह दिसम्बर 2011 में 2300 लीटर केरोसीन एवं 2.20 क्वि. चीनी स्टॉक में कम पाये गई है। एपीएल गेंहू के स्टॉक रजिस्टर की जांच में पाया कि केवल स्टॉक रजिस्टर में वितरण दर्शाकर 5.80 क्वि. गेंहू, माह दिसम्बर 2011 में स्टेट बीपीएल योजना मे स्टॉक रजिस्टर में फर्जी वितरण दर्शाकर 1.25 क्वि. गेहूं, माह दिसम्बर 2011 में बीपीएल योजनान्तर्गत स्टॉक रजिस्टर में फर्जी वितरण दर्शाकर 2.75 क्वि. एवं एपीएल योजनान्तर्गत माह अक्टूम्बर एवं नवम्बर 2011 में 50–50 क्वि. गेहूं कुल 100 क्विं. गेहूं का केवल स्टॉक रजिस्टर में वितरण दर्शाकर गबन करना अपीलान्ट द्वारा बताया गया है। उक्त संबंध में उपखण्ड अधिकारी जायल द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या–1 प्रहलादराम को जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक 22.03.2012 के सन्दर्भ में प्रस्तुत जबाब दिनांक 23.04.2012 में स्पष्ट कथन किया है कि दिनांक 20.01.12 की जॉच रिपोर्ट में जो भी अनियमितताऐं पाई गई है। उनको वर्तमान में नहीं दौहराई जावेगी। कर्मचारी की सहानुभूति को देखते हुऐ प्राधिकार पत्र का बहाल करने का निवेदन किया है।

इस प्रकार रेस्पोडेन्ट संख्या–1 प्रहलादराम ने प्रवर्तन निरीक्षक जायल द्वारा उपखण्ड अधिकारी जायल के समक्ष प्रस्तुत जॉच रिपोर्ट दिनांक 20.01.12 को स्वीकार किया है। वकील रेस्पोडेन्ट ने अपीलान्ट द्वारा अपील में रेस्पोडेन्ट संख्या–1 प्रहलादराम के विरूद्ध किये गये कथनों के खण्डन में कोई ठोस साक्ष्य पेश नहीं की है। इसलिए अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

6. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जायल द्वारा पारित निर्णय जैर अपील को निरस्त किया जाता है। रेस्पोडेन्ट संख्या–2 प्रहलादराम ग्राम सेवा सहकारी समिति मांगलोद तहसील जायल उचित मूल्य दुकान का प्राधिकारी पत्र निरस्त किया जाता है। परन्तु आमजन की सुविधा हेतु ग्राम सेवा सहकारी समिति मांगलोद तहसील जायल पुनः उचित मूल्य दुकानदार हेतु आवेदन प्रस्तुत करने हेतु स्वतन्त्र रखा जाता है। जिला रसद अधिकारी नागौर को मूल रिकार्ड लौटाते हुए निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे।

7. निर्णय सुनाया गया।

(दिनेश कुमार यादव)
जिला कलक्टर, नागौर
कलक्टर, नागौर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Yadav
Date: 2020.03.17 14:22:21 IST
Reason: SelfAttested
Location: